

::कार्यालय-आदेश::

निम्नांकित कार्मिको को उनके आवेदन एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, अलवर एवं चूरु की अभिशंषा पर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा/इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से बी.एड. /एमएससी पत्राचार पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 एवं 2019-21 के अन्तर्गत सत्र (2018-20) द्वितीय वर्ष एवं सत्र 2019-21 प्रथम वर्ष कि स्वयं के व्यय पर करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	जिला	नाम कार्मिक पद	पदस्थापन स्थान
1.	अलवर	श्रीमती आरती,अध्यापिका	राप्रावि,मोरोडिया
2.	चूरु	महेश प्रसाद,अध्यापक	राउप्रावि,पातनीसर छोटा प.स. सरदारशहर
3.	चूरु	जयनारायण,अध्यापक	राबाउप्रावि,रातूसर

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


1. कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
2. आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुज्ञा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा,तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
4. कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
5. सत्र 2020-21 हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आज्ञा से
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.स/एफ-4/पत्रा.बीएड.अनु/समस्त.म/2019/ दिनांक:-

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा,अलवर/चूरु।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान.....।
3. पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि..... जिला
5. रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं प.राज(प्राशि)
राजस्थान बीकानेर